न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 18/2015 (उदयपुर डिक्री)

1. डाया पिता अमरा जी (मृतक) के बजाय :–

1/1. शंकरलाल पिता स्वर्गीय डाया जी डांगी, निवासी बड़गांव, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. मेघराज पिता स्वर्गीय डाया जी डांगी, निवासी बड़गांव, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. श्रीमती भागु पत्नी स्वर्गीय डाया जी डांगी, निवासी बड़गांव, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. नानजी पिता गोविन्दा जी (मृतक) के बजाय :–

1/1. कन्हैयालाल पिता स्वर्गीय नानजी डांगी, निवासी बड़गांव, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. श्रीमती भूरीबाई पुत्री स्वर्गीय नानजी डांगी, निवासी बड़गांव, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. श्रीमती केसुबाई पुत्री स्वर्गीय नानजी डांगी, निवासी बड़गांव, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

1/4. श्रीमती दलुबाई बेवा स्वर्गीय नानजी डांगी, निवासी बड़गांव, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

2. उदा पिता गांगा जी डांगी, निवासी बड़गांव, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

3. श्रीमती धनुबाई बेवा गांगा जी डांगी, निवासी बड़गांव, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

4. विरजी पिता काना जी डांगी, निवासी बड़गांव, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

5. रूपा पिता काना जी डांगी, निवासी बड़गांव, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

6. रोड़ा पिता काना जी डांगी, निवासी बड़गांव, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

7. लाला पिता काना जी डांगी, निवासी बड़गांव, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

8. श्रीमती लाली बेवा काना जी डांगी, निवासी बड़गांव, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

9. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0 –1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी, सराड़ा
दिनांक 23.01.2015, प्र.सं. 186/11

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री भूरालाल डांगी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री भीमराज पटेल अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट
3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णय **दिनांक 30–10–2017**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 (1/1 से 1/4) द्वारा अपीलान्ट व रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध घोषणा का प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी की पैत्रृक खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि जो वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित है, कुल किता 17 रकबा 14 बीघा 3 बिस्वा भूमि स्थित है, जो गोविन्दा के स्वर्गवास के बाद उसके पुत्र लाला व नानजी के नाम राजस्व रेकार्ड में विरासत से दर्ज हुई। वादी का भाई लाला खेराड़ में गोद चला गया एवं अपने हक हिस्से की लिखतम वादी के पक्ष में दिनांक 15–05–1989 को लिख दी। उक्त भूमि के हाल आराजी जो वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित है, कुल किता 20 रकबा 2.5600 हैक्टर है, जिमें नानजी पिता गोविन्दा का 1/3 हिस्सा, उदा पिता गांगा व धनु बेवा गांगा का 1/6 हिस्सा, वीरजी, रूपा, रोड़ा, लाला पिता काना व लाली बेवा काना का 1/6 हिस्सा एवं डाया पिता अमरा का 1/3 हिस्सा दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के पिता गांगा व काना ने प्रतिवादी संख्या 8 से मिलकर धोखाधड़ी पूर्वक पटवारी से मिलीभगत कर दिनांक 29–09–1989 को फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाकर समस्या समाधान शिविर में नामान्तरकरण संख्या 145 द्वारा 1/3, 1/3 हिस्सा अपने नाम दर्ज करवा लिया, जबकि वादी ने कभी भी समस्या

समाधान शिविर में प्रतिवादीगण के पिता का नाम दर्ज किये जाने की कोई स्वीकृति नहीं दी। किसी भी खातेदार का हिस्सा मात्र सहमति के आधार पर हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता, उसके लिए रजिस्टर्ड खत, विक्रय, बक्षीस, हकत्याग आदि का निष्पादन किया जाना आवश्यक है। वादग्रस्त कृषि भूमियों में प्रतिवादीगण के खाते दर्ज 1/3, 1/3 हिस्से का एक मात्र खातेदार वादी है। अतएवं उसे खातेदार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी संख्या 8 व 9 की ओर से कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करने से जवाबदावा बन्द किया गया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायलय ने प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4, 5 व 7 तथा प्रतिवादी संख्या 3 व 6 की ओर से सहमति का जवाब दावा प्रस्तुत हुआ। अधिनस्थ ने बहस सुनने के बाद सहमति के आधार पर दिनांक 23–01–2015 को वादी का वाद डिक्री किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 8 डाया के वारिसान द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 29–05–2015 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्दा मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने दिनांक 05–05–2015 को मौके पर आकर जमीन खाली करने की धमकी दी तो उसे निर्णय की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से अधिनस्थ न्यायालय में अधिवक्ता श्री भैरूलाल जोशी ने दिनांक 22–09–2011 को अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया। दिनांक 19–08–2011 को प्रतिवादी संख्या 8 व 9 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत नहीं होने पर उनका जवाबदावा बन्द किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा वादी की साक्ष्य से जिरह भी की गयी। दिनांक 05–01–2015 को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अतएवं प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं थी। अपील देरी से प्रस्तुत किये जाने का कोई ठोस कारण अपीलान्ट द्वारा नहीं बताया गया है। अतएवं प्रथम दृष्टया अपील बेरून मयाद होने से मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

प्रकरण में न्यायहित में हम गुणावगुण पर विवेचन करना भी उचित समझते हैं। प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/4, 2, 4 व 8 की ओर से वकील

श्री भीमराज पटेल उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट द्वारा प्रमुख रूप से यह उजर लिया गया कि विवादित भूमि में अपीलान्ट का 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है तथा वह मौके पर काश्त कर रहा है। विवादित भूमि मौरूसी भूमि होने से अकेले रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के नाम दर्ज हो जाने से आपसी सहमति से समस्या समाधान शिविर में हिस्से दर्ज कराये गये, किन्तु अब रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के मन में बदनियति आ जाने से अधिनस्थ न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया। अधिनस्थ न्यायालय ने बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये डिक्री पारित कर दी एवं अपीलान्ट को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त किया जावे।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो स्पष्ट आया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्या समाधान शिविर में जो निर्णय पारित किया है, उसमें कहीं पर भी वादी की सहमति नहीं थी, जबकि राजीनामे के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद डिक्री किया गया है। अपीलान्ट द्वारा कहीं पर भी यह दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है कि उक्त भूमि मौरूस पेमा जी के समय से चली आ रही हैं, बल्कि अधिनस्थ न्यायालय में पेश शुदा रेकार्ड अनुसार भूमियां गोविन्दा के समय से चली आ रही हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में जो निर्णय पारित किया गया है उसमें अपीलान्ट/प्रतिवादी को राजीनामें के आधार पर 1/3 हिस्सा दिया गया है, जबकि राजीनामे के आधार पर वाद डिक्री किया जाना प्रथमता विधि शून्य है एवं इससे अपीलान्ट के पक्ष में किसी प्रकार के हक अधिकार सृजित नहीं होते हैं। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का पूर्व का निर्णय त्रुटि पूर्ण था एवं अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा रेसज्यूडीकेटा बाबत् कोई भी उजर नहीं लिया गया है।

उपरोक्त परिस्थितियों में यह सुस्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय का पूर्व का निर्णय त्रुटि पूर्ण था, क्योंकि भूमियां पेमा जी के समय की होना साबित नहीं है, बल्कि भूमियां गोविन्दा के समय की होना पेश शुदा रेकार्ड अनुसार साबित है। सिर्फ अपीलान्ट अकेले के कह देने मात्र से भूमियां पेमा के समय की नहीं मानी जा सकती, क्योंकि भूमियां प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड अनुसार स्पष्ट रूप से गोविन्दा के समय से चली आ रही हैं। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से सही होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23–01–2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–10–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

डाया (मृतक) के बजाय शंकरलाल पिता स्व. डाया जी डांगी, निवासी बड़गांव, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर व अन्य	बनाम	**नाना (मृतक) के बजाय कन्हैयालाल पिता स्व. नाना जी डांगी, निवासी बड़गांव, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**18/2015**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
..... **सराडा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**23**.....माह.....**01**.....**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**30**....माह.....**10**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री भूरालाल डांगी**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री भीमराज पटेल** .....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 23–01–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**30**.....माह.....**10**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।